संख्या– / **XXVII(6)** / ई0–41280 / 2023

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस0 संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 दिनांकः मई, 2023

विषयः– राज्य के समस्त शासकीय विभागों में IFMS पोर्टल के HRMS मॉड्यूल को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–109178 / 2023, दिनांक 24.03.2023 द्वारा राज्य में आई0एफ0एम0एस0 प्रणाली को लागू किये जाने विषयक वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–132, दिनांक 29.03.2019 की अपेक्षानुसार कार्मिकों के दावों / अवकाश, अग्रिम स्वीकृति करना, सेवापुस्तिका एवं चरित्र पंजिकाओं आदि के सम्पादन में वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर IFMS पोर्टल के HRMS मॉड्यूल के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24.03.2023 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

2– विदित है कि वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–109178 / 2023, दिनांक 24.03.2023 के द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं:–

(2) अधिष्ठान से संबंधित कार्य के लिए दिशा–निर्देशः–

1. प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा अपने अधिष्ठान से संबंधित कर्मचारियों के दावों, अवकाश, अग्रिम स्वीकृति करना, सेवा पुस्तिका एवं चरित्र पंजिकाओं आदि के सम्पादन में वर्तमान में प्रचलित मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
2. प्रत्येक कार्मिक के सेवा पुस्तिका में दर्ज सेवा संबंधी समस्त अभिलेखों यथा नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, पदावनति आदेश, निलम्बन / स्थानान्तरण आदेश, एल0पी0सी0, समयमान वेतनमान, ए0सी0पी0, एम0ए0सी0पी0, स्थानान्तरण आदेश, विभिन्न प्रकार के अग्रिमों, कटौतियों उपार्जित अवकाश के आदेश एवं आवेदन पत्रों आदि को स्कैनर के माध्यम से स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0 फार्मेट में अपलोड किया जायेगा। सेवापुस्तिका में अंकित समस्त सेवा–संबंधी पूर्ण विवरण / सूचनाओं (नियुक्ति से लेकर अद्यावधिक रूप से) को ऑनलाईन भर कर ई–सेवा पुस्तिका तैयार की जायेगी।

इसी प्रकार सिस्टम से ही ई–जी0पी0एफ0 पास बुक भी तैयार की जायेगी।

3. कार्मिकों को स्वयं के क्लेम/अग्रिम/अवकाश आदि (जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा आदि) हेतु ऑनलाईन स्वयं आवेदन करना होगा।
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्मिकों के स्वयं के दावे/अग्रिम (जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा आदि) के ऑनलाईन आवेदनों की जांच/परीक्षण का कार्य ऑनलाईन ही किया जायेगा। इस प्रकार से प्रस्तुत क्लेम/अग्रिम की ऑनलाईन स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान कर दिये जाने के उपरांत तद्विषयक दावों/अग्रिमों के देयकों को संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी एवं उसके अधीनस्थों द्वारा ऑनालाईन तैयार किया जायेगा।

3– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि IFMS पोर्टल के HRMS मॉड्यूल का प्रयोग किये जाने विषयक वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के उक्त पत्र दिनांक 24.03.2023 का पूर्णतः अनुपालन करते हुए वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 05-06-2023 18:54:37

भवदीय,

(डॉ0 एस0एस0 संधु)
मुख्य सचिव।

संख्या– /**XXVII(6)**/ई0–41280/2023तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्मिकों के वेतन को आई0एफ0एम0एस0 के एच0आर0एम0एस0 मॉड्यूल से लिंक किये जाने के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।